भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2547

बुधवार, दिनांक 11 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर</u>

2547. श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैयाः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उच्च नवीकरणीय ऊर्जा संस्थापित क्षमता वाले राज्यों में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज-I के अंतर्गत विद्युत पारेषण के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) योजना की क्या स्थिति है और परियोजनाओं के पूरा होने का राज्य-वार अपेक्षित समय क्या है;

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ आज तक कितनी धनराशि स्वीकृत, जारी और व्यय की गई है;

(घ) ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (जीईसी) फेज-II के अंतर्गत चिह्नित राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) जीईसी चरण-II योजना के लक्ष्यों और उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में नवीकरणीय ऊर्जा पारेषण को सुगम बनाने के लिए उपयोग में लाई जा रही नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) हरित ऊर्जा कॉरिडोर (जीईसी) चरण-I का कार्यान्वयन 8 अक्षय समृद्ध राज्यों आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु द्वारा लगभग 24 गीगावट अक्षय ऊर्जा विद्युत के एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जा रहा है। इस योजना में 9767 सीकेएम (सर्किट किलोमीटर) ट्रांसमिशन लाइनों की स्थापना और कुल 22689 मेगा वोल्ट-एम्पीयर (एमवीए) की क्षमता के सबस्टेशनों की स्थापना शामिल है, जिसमें परियोजना लागत या आवंटन लागत का 40 प्रतिशत, जो भी कम हो, केन्द्रीय अनुदान होगा।

(ख) और (ग): जीईसी चरण-I मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में पूरा हो चुका है। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र के लिए जीईसी चरण-I की पूर्णता तिथि दिसंबर 2024 है और गुजरात राज्य के लिए मार्च 2025 है। दिनांक 30.11.2024 तक जीईसी चरण-I के तहत स्वीकृत और जारी की गई धनराशि का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(घ) इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएनएसटीएस) जीईसी चरण-II योजना से 7 कार्यान्वयनकारी राज्य गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश हैं।

(ङ) इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएनएसटीएस) जीईसी चरण-II के अंतर्गत शामिल राज्य गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में लगभग 20 गीगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा (आरई) विद्युत परियोजनाओं से विद्युत निकासी के लिए आवश्यक इन्ट्रा-स्टेट पारेषण अवसंरचना तैयार करने में सहायता होगी।

(च) देश में नवीकरणीय ऊर्जा पारेषण को सुगम बनाने के लिए उपयोग में लाई जा रही नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों में अन्य के साथ-साथ अतिरिक्त उच्च वोल्टेज एसी लाइनों का निर्माण, लंबी दूरी के पारेषण और ग्रिड स्थिरता के लिए वोल्टेज सोर्स कनवर्टर आधारित हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट सिस्टम की तैनाती शामिल है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित अक्षय ऊर्जा पूर्वानुमान के साथ अक्षय ऊर्जा प्रबंधन केंद्रों की स्थापना, तथा गतिशील क्षतिपूर्ति उपकरणों की स्थापना, जिसका उद्देश्य ग्रिड लचीलापन और स्थिरता को बढ़ाना, तथा विद्युत गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करना है।

अनुलग्नक

'ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर' के संबंध में पूछे गए दिनांक 11.12.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2547 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-I के अंतर्गत जारी धनराशि की स्थिति

		पात्र केन्द्रीय अनुदान (करोड़ रु.)	जारी (करोड़ रु.)
1	आंध्र प्रदेश	361.25	290.61
2	गुजरात	746.40	544.08
3	हिमाचल प्रदेश	237.28	206.66
4	कर्नाटक	326.50	326.50
5	मध्य प्रदेश	655.09	624.24
6	महाराष्ट्र	67.49	46.76
7	राजस्थान	241.35	241.35
8	तमिलनाडु	529.34	524.30
	कुल	3164.70	2804.50

*****